सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )पंरावि / प्रशा.1 / सहा.अभि. / रिट / अपील / स्था / अभ्यावेदन / 23 / 1094 जयपुर, दिनांक:– 28.3.23.

–::आदेश::–

श्री बहादुर सिंह पुत्र भौपतराम, सहायक अभियन्ता पंचायत समिति रूपबास जिला भरतपुर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 640 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 1.2.2023 के क्रम में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं वर्तमान में सहायक अभियन्ता के पद पर पंचायत समिति रूपवास जिला भरतपुर में पदस्थापित हूँ। मेरा स्थानान्तरण विभागीय आदेश दिनांक 11.1.23 के द्वारा 400 किलोमीटर दूरी पर पंचायत समिति मौलासर जिला नागौर में कर दिया है। मेरी पत्नी राज. उ. मा. वि अऊ, डीग भरतपुर में कार्यरत हैं। भरतपुर जिले की 10 पंचायत समिति एवं जिला परिषद में 24 पद स्वीकृत हैं, उपरोक्त 24 पदों के विरूद्ध जिले में विभाग के मात्र 9 सहायक अभियन्ता ही नियुक्त हैं। राज्य सरकार व विभाग के सेवा नियमों में भी पति पत्नी के राज्य सेवा में समान स्टेशन पर सेवा करने हेतु नियम हैं तथा हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 5043 / 2020 के द्वारा भी राज्य सरकार और विभाग को एक स्थान या एक ही जिले में राज्य सेवा हेतु सहानुभूति रखने के निर्देश प्रदान किये है। प्रार्थी की पत्नी के दोनों घुटने खराब हो गये हैं, उनके घुटने रिप्लेस होने हैं। प्रार्थी के 3 बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी के सहयोग में मेरी आवश्यकता है। मेरा स्थानान्तरण मोलासर नागौर के स्थान पर भरतपुर की किसी भी पंचायत समिति में करने की कृपा करें।

अधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय की पालना में श्री बहादुर सिंह, सहायक अभियन्ता के अभ्यावेदन को देखा गया तथा सभी तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर मनन किया गया। श्री बहादुर सिंह अपना पदस्थापन भरतपुर जिले में चाहते हैं और इसके लिये उन्होनें पारिवारिक तथ्य बताये है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके तीन बच्चे भरतपुर से बाहर रह रहे हैं और वह सभी बालिग है। ऐसे में केवल पत्नी के स्वास्थ्य का कारण दिया गया है। जिसके लिये वे अपनी पत्नी को अपने पदस्थापन स्थान पर अपने साथ ही रख सकते हैं। किसी भी राजसेवक का स्थानान्तरण राज्य सरकार की नीतिगत एवं अधिकारिता का मामला है।

इस प्रकरण में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसके आधार पर श्री बहादुर सिंह के संबंध में उनका पदस्थापन भरतपुर रखने सबंधी निर्णय किया जा सके। श्री बहादुर सिंह का अभ्यावेदन इसी स्तर पर पत्रित किया जाता है।

(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, भरतपुर / नागौर।
7. मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर / नागौर।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति रूपबास (भरतपुर) / मौलासर (नागौर)।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. श्री बहादुर सिंह, सहायक अभियन्ता पंचायत समिति रूपबास जिला भरतपुर को पालनार्थ।
11. आदेश पत्रावली।

(घनश्याम शर्मा)
उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

Signature valid

Digitally signed by Naveen Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.03.27 11:50:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3432566